बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

आ0सं0 :–वि० प्रा० (I) व^2–06/2013 पार्ट–I/ 770 /पटना, दिनांक – 27.2.2020

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 में वर्णित प्रावधानानुसार (परिशिष्ट–'क') संविदा नियोजित कर्मियों को सेवा निवृत्ति की आयु तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक कार्य करने के संबंध में तथा मानदेय/अवकाश/अनुग्रह अनुदान/सेवा अभिलेख के संधारण/यात्रा/व्यय संविदा कर्मियों को हटाये जाने की स्थिति में अपील के प्रावधान/नियमितीकरण/भविष्य निधि बीमा/वार्षिक मूल्यांकन आदि के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है।

उक्त संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट ''क'' में दिये गये दिशा–निदेश से स्पष्ट है कि संविदा नियोजित कर्मियों की अवधि विस्तार की आवश्यकता अब नहीं है।

2. विभागीय आदेश संख्या–450 दिनांक–15.02.2018 द्वारा संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों का पुर्ननियोजन एक वर्ष के लिए किया गया था जिसकी अवधि दिनांक–14.02.2019 को समाप्त हो गयी है। इस प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट ''क'' में दिये गये दिशा–निर्देश के आधार पर नियमानुकूल विभागान्तर्गत संकायवार रिक्त पदों पर संविदा पर पूर्व नियोजित निम्न 02 सहायक प्राध्यापकों को सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो तक, के लिए कार्य करने एवं अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण या सेवानिवृति की सामान्य आयु होने पर अथवा नियमित नियुक्ति होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। साथ ही संविदा नियुक्ति की अन्य शर्त्ते नियुक्ति के समय निर्गत नियुक्ति पत्र, एकरारनामा एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) में अंकित यथावत् रहेगी। अवधि विस्तार की स्वीकृति निम्न शर्त्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

(I) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर या असंतोषप्रद सेवा के कारण या सेवानिवृति की सामान्य आयु होने पर अथवा नियमित नियुक्ति होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

(II) संविदा पर नियोजित शिक्षको को भविष्य में नियमित, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(III) सूची में संलग्न सभी संविदा सहायक प्राध्यापक द्वारा नियोजित संस्थान के प्राचार्य के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा निष्पादित किया जाएगा। एकरारनामा की तिथि से नया नियोजन माना जायेगा।

(IV) संविदा नियोजित सहायक प्राध्यापक की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्षो के अधीन होगी।

(V) इन संविदा नियोजित सहायक प्राध्यापक पर समय–समय पर निर्गत विभागीय निर्देश लागू होंगे।

(VI) संविदा पर नियोजित सहायक प्राध्यापक को विभागीय आदेश सं0–3086 दिनांक–16.11.2018 द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(VII) संविदा नियोजन की अन्य शर्तें एकरारनामा/बंधक पत्र (जहाँ लागू हो) यथावत रहेंगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12534 दिनांक–17.09.2018 के परिशिष्ट–''क'' में दिये गये दिशा–निर्देश के आधार पर नियमानुकूल उपर्युक्त वर्णित कंडिका–2 तथा अन्य बिन्दुओं के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाता है।

4. इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम/संकाय का नाम	पदस्थापित संस्थान का नाम
1	2	3	4
1.	श्री राजीव रंजन	सहायक प्राध्यापक, आई०टी०	एल०एन०जे०पी०, छपरा
2.	श्री आलोक कुमार	सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर साईस	गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया

26.02.2020

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) व^{2}–06/2013 पार्ट–I/ 770 /पटना, दिनांक – 27.2.2020

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26.02.2020

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

ज्ञापांक– वि० प्रा० (I) व^{2}–06/2013 पार्ट–I/ 770 /पटना, दिनांक – 27-2.2020

प्रतिलिपि– सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/उप निदेशक (यो0)/विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सहायक प्राध्यापक/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर (अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.2020

सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

विकास/20.02.20